भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 311

उत्तर देने की तारीखः 04.02.2025

एलजीबीटीक्यू समुदाय

311. श्री नवीन जिंदल:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्यक्रम अथवा योजना बनाई है कि एलजीबीटीक्यू समुदाय के व्यक्तियों के साथ वस्तुओं और सेवाओं तक पहुंच तथा सामाजिक अधिकारों के संबंध में कोई भेदभाव न हो और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इस संबंध में न्यायिक निर्णय दिए जाने के बावजूद इसके क्या कारण हैं; और

(ख) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि एलजीबीटीक्यू समुदाय को किसी उत्पीड़न अथवा दबाव का सामना न करना पड़े और उनका कोई अनैच्छिक चिकित्सा परीक्षण अथवा उपचार न किया जाए?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी.एल. वर्मा)

(क) से (ख): एलजीबीटीक्यू की देखभाल के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे उपाय **अनुबंध** में संलग्न हैं।

अनुबंध

दिनांक 04.02.2025 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 311 के भाग (क) से (ख) में उल्लिखित अनुबंध

एलजीबीटीक्यू समुदाय के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम इस प्रकार हैं:

1. खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें यह कहा गया है कि मौजूदा प्रावधानों के अनुसार, राशन कार्ड के प्रयोजनों के लिए समलैंगिक संबंध में रहने वाले भागीदारों को उसी परिवार का सदस्य माना जाना चाहिए। इसके अलावा, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय करने के लिए कहा गया है कि समलैंगिक संबंध में रहने वाले भागीदारों को राशन कार्ड जारी करने में किसी भी तरह के भेदभाव का सामना न करना पड़े।

2. वित्तीय सेवाएं विभाग ने एक एडवाइजरी जारी की है कि समलैंगिक समुदाय के व्यक्तियों के लिए संयुक्त बैंक खाता खोलने तथा खाताधारक की मृत्यु की स्थिति में खाते की शेष राशि प्राप्त करने के लिए समलैंगिक संबंध वाले किसी व्यक्ति को नामित करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

3. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों सहित सभी हितधारकों को पत्र जारी कर हेल्थकेयर, जागरूकता संबंधी कार्यकलापों की प्लानिंग, कन्वर्जन थेरेपी के निषेध, लिंग पुनर्निधारण सर्जरी की उपलब्धता, क्यूरीकूला में बदलाव, टेली कन्सलटेशन के प्रावधान, विभिन्न स्तरों के स्टाफ को जागरूक और प्रशिक्षित करने वले एलजीबीटीक्यूआई+ के अधिकारों को सुनिश्चित करने तथा निकट संबंधी/निकटतम रिश्तेदार/परिवार के उपलब्ध न होने पर शव का दावा करने का प्रावधान करने के लिए कदम उठाने को कहा है।

4. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने भी स्वास्थ्य की देखभाल तक पहुंच सुनिश्चित करने और एलजीबीटीक्यूआई+ समुदाय के प्रति भेदभाव को कम करने के विषय पर राज्यों के स्वास्थ्य विभागों और अन्य हितधारकों को पत्र जारी किया है।

5. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने यौन भेदभाव (अंतरलैंगिक) विकारों से ग्रस्त शिशुओं/बच्चों के लिए आवश्यक चिकित्सा हस्तक्षेप के संबंध में दिशा-निर्देश तैयार किए हैं, ताकि वे बिना किसी जटिलता के चिकित्सकीय रूप से सामान्य जीवन जी सकें।

6. गृह मंत्रालय ने समलैंगिक समुदाय के जेल मुलाकाती अधिकारों के संबंध में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एडवाइजरी जारी की है तथा समलैंगिक समुदाय को हिंसा, उत्पीड़न

उत्पीड़न या जबरदस्ती का कोई खतरा न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए कानून एवं व्यवस्था संबंधी उपायों पर एडवाइजरी जारी की है।

7. ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए "उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019" बनाया गया था। अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए "उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण), नियम, 2020" अधिसूचित किया गया। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए नीतियों, कार्यक्रमों, कानून और परियोजनाओं पर सरकार को सलाह देने के लिए एक राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद (एनसीटीपी) की स्थापना की गई है। ट्रांसजेंडर आवेदकों को ट्रांसजेंडर प्रमाणपत्र और पहचान पत्र जारी करने के लिए ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल चालू किया गया है। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के विरुद्ध अपराधों के मामलों की निगरानी करने और ऐसे अपराधों का समय पर पंजीकरण, जांच और अभियोजन सुनिश्चित करने के लिए 13 राज्यों में ट्रांसजेंडर सुरक्षा प्रकोष्ठ (टीपीसी) स्थापित किए गए हैं। उनके अधिकारों और हितों की रक्षा करने और योजनाओं और कल्याणकारी उपायों की उपलब्धता को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से 19 राज्यों में ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड (टीडब्ल्यूबी) भी स्थापित किए गए हैं। मंत्रालय ने भेदभाव को खत्म करने, समान अवसरों को बढ़ावा देने और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों और गौरव का सम्मान करने वाला कार्यस्थल प्रदान करने के लिए "ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए समान अवसर नीति" जारी की है।

****